# बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## (पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र संबंधी निर्देश)

01. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरान्त नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करें।

02. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in के बांयी ओर के Menu में Online Form लिंक को Click करके Online Form भरा जा सकता है अथवा Direct Link buonline.resulthour.com का भी उपयोग किया जा सकता है।

03. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राएँ यदि अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं हैं तो विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक 6 की कण्डिका 26(1) के प्रावधानों के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

04. चालान फार्म द्वारा बैंक में शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के 5 दिवस के पश्चात तक ही रहेगी, उसके बाद बैंक द्वारा चालान फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

05. पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन Form Submit होने के पश्चात आवेदन की हार्ड कापी, अंकसूची की मूल प्रति एवं चालान की मूल प्रति (यदि आवेदन शुल्क बैंक में चालान के माध्यम से जमा किया गया हो तो) महाविद्यालय में अंकसूची प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जमा करें।

06. एक बार भरे हुए आवेदन पत्र में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

07. परीक्षार्थी अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों में ही पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

08. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार किया जावेगा।

(A) पूरक/ ए.टी.के.टी/ द्वितीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(B) प्रायोगिक परीक्षाओं/क्षेत्रीय कार्य (Field Work) /सत्रीय अंक (Sessional/Work test) तथा किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्थान पर प्रस्तुत शोध-प्रबंध (Dissertation) के लिये पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(C) जो परीक्षार्थी स्नातक (वार्षिक स्कीम के अंतर्गत) स्तर के परीक्षाओं में सभी विषयों में सम्मिलित हुए हैं, वे दो से अधिक प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा ऐसे परीक्षार्थियों को शेष प्रत्येक विषय में कम से कम 33 % अथवा उस कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।

(D) जो परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा स्कीम के अंतर्गत स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सभी प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए हैं वे दो से अधिक प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा परीक्षार्थियों के लिये शेष के प्रत्येक प्रश्न-पत्रों (वार्षिक स्कीम) में कम से कम 36 % अथवा उस कक्षा/विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।

(E) पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

अ. स्नातक स्तर के परीक्षार्थी जो दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं और पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करते हैं।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षार्थी जो दो से अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हैं और पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करते हैं।

स. पूरक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं है।

09. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। पुनर्मूल्यांकन परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।

10. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित परीक्षार्थी (यदि उसका परिणाम घोषित नहीं हुए हों तो) को गोपनीय विभाग को लिखित में अवगत कराना आवश्यक है ताकि इस संबंध में कार्यवाही की जा सके।

11. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का नतीजा ही स्वीकार्य होगा।

12. पुनर्मूल्यांकन के लिये छात्रों द्वारा Online एक से अधिक बार आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

परीक्षा नियंत्रक